



2026:AHC:55520

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्राथना पत्र धारा 482 बीएनएसएस के

अंतर्गत, संख्या - 2633 सन् 2026

अवधेश @ अवधलाल @ कमलेश्वर प्रसाद एवं अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: श्री प्रकाश द्विवेदी

विपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. आज न्यायालय में दाखिल अनुपूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है। आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता, श्री चंदन सिंह, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेखों का परिशीलन किया गया।
2. आवेदकगण, यथा अवधेश @ अवधलाल @ कमलेश्वर प्रसाद एवं सरया देवी, ने वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन, मु०अ०सं० 73/2025, बी.एन.एस. की धारा 85, 80(2) एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4, थाना इमंदगंज, जिला मिर्जापुर में, इस प्रार्थना के साथ दाखिल किया है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदकों को जमानत पर रिहा किया जाए।
3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आवेदक संख्या 1 मृतका का ससुर है, जबकि आवेदक संख्या 2 मृतका की सास है, आवेदकों को अपनी गिरफ्तारी की आशंका है और इसलिए आवेदकों ने आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बी.एन.एस.एस. संख्या 5690/2025 (अवधेश @ अवधलाल @ कमलेश्वर एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) दाखिल किया था, जिसे दिनांक 18.07.2025 के आदेश द्वारा स्वीकार किया गया था, जिसके अंतर्गत आवेदकों को पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत होने तक अग्रिम जमानत प्रदान की गई थी। तत्पश्चात् आरोप-पत्र प्रस्तुत होने के साथ जाँच पूर्ण हुई और अब आरोप-पत्र दाखिल होने के बाद वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता का

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कथन है कि आवेदकों को वर्तमान मामले में झूठा फँसाया गया है। आवेदकगण मृतका के ससुर और सास हैं। आवेदकों ने कभी दहेज की माँग नहीं की और न ही मृतका को प्रताड़ित किया। वास्तव में, आवेदकों ने कभी मृतका और उसके पति के वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया। आवेदकगण अपनी पुत्रवधू की मृत्यु से शोकाकुल हैं तथा दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। तथापि, अग्रिम जमानत आवेदन के प्रयोजन हेतु यह निवेदन किया गया है कि मृतका एक भावनात्मक महिला थी जो तुच्छ मामलों पर भी अत्यधिक प्रतिक्रिया करती थी। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन अपने पति के साथ मामूली मतभेद के पश्चात् मृतका ने क्रोध में फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शव-परीक्षण रिपोर्ट में मृत्यु का कारण जीवन-पूर्व फाँसी के कारण दम घुटना अंकित है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि उपर्युक्त मामले में आवेदकों को गिरफ्तार किया जा सकता है, इस तथ्य के बावजूद कि उनके विरुद्ध कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है, फिर भी जाँच अधिकारी ने बिना किसी ठोस साक्ष्य के प्रति-कार्यात्मक तरीके से आरोप-पत्र प्रस्तुत किया है। यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदकगण विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देते हैं तथा जब भी जाँच एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यक हो, उपस्थित होंगे। यह कहा गया है कि यदि आवेदकों को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे एवं जाँच एजेंसी में सहयोग करेंगे तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेंगे।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया है।

5. अभिलेखों के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि आवेदकों के विरुद्ध अपराध के कारित करने में विशेष आरोप लगाए गए हैं। जाँच अधिकारी ने जाँच के दौरान आवेदकों के विरुद्ध विश्वसनीय साक्ष्य एकत्रित किए हैं और मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा अपराध के कारित करने में उनकी संलिप्तता समर्थित है। इसके अतिरिक्त, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एस.सी.सी. 694 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि अग्रिम जमानत याचिका पर न्याय निर्णयन करते समय न्यायालय को आरोपों की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी की न्यायिक प्रक्रिया से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और यह कि न्यायालय को आरोपी के विरुद्ध उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानी से मूल्यांकन करना चाहिए और आरोपी की वास्तविक भूमिका पर भी विचार करना चाहिए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. वर्तमान मामले में, अग्रिम जमानत के संबंध में विधि के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदन, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका तथा मामले की समस्त परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला नहीं बनता।

7. तदनुसार, अग्रिम जमानत आवेदन अस्वीकार किया जाता है।

(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

18 मार्च, 2026

एस. अली